खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 06 / 2026
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम हितेश कुमार मैसर्स सुभाष स्वीट्स
जालोर चौराया, सुमेरपुर पाली

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 06 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2026 / 14

सायल :–		गैर सायल :–
जरिये सरकार दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली	बनाम	हितेश कुमार पुत्र श्री सोहनलाल सोलंकी मैसर्सः– सुभाष स्वीट्स जालोर चौराया, सुमेरपुर पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

–:निर्णयः–

दिनांकः 24.04.2026

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(V) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 29.01.2026 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान् / वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 06.08.2025 को सायल दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सुभाष स्वीट्स, जालोर चौराया, सुमेरपुर पहूंचे। सायल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हितेश कुमार व गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स सुभाष स्वीट्स, जालोर चौराया, सुमेरपुर का निरीक्षण करने पर पाया की दुकान में बेसन चक्की (घी से बनी हुई मिठाई) रखी है। बेसन चक्की (घी से बनी मिठाई) जिसकी गुणवता जांच के लिये नमुना लिया गया, जिसमें मिलावट का शक हुआ इसलिए प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हूं प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

यह कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में रखे हुए बेसन चक्की (घी से बनी मिठाई) में से 2 कि.ग्रा. विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए को वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 800 रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे व विक्रेता व उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर है।

यह कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड क्रमांक आर–2626 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया एवं प्रत्येक लेबल पर मालिक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं भी किये। मालिक विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये बेसन चक्की (घी से बनी मिठाई) को हिलामिला कर एकरुप करके चार साफ व सुखी बोतल में अलग–अलग बराबर–बराबर मात्रा में लेकर प्रत्येक नमूना बोतल में 40–40 बूंद फोरमेलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बन्द किया। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतल पर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लीप कोड क्रमांक आर–2626 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना बोतल के मूंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना बोतल को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमूहर किया एक सील नमूना बोतल के मुंह पर एक एक सील पैंदे पर दो नमूना बोतल की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 06 / 2026
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम हितेश कुमार मैसर्स सुभाष स्वीट्स
जालोर चौराया, सुमेरपुर पाली

किया। मालिक विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपरस्लीप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूना को अपने जाब्तें में लिया।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। मौका फर्द पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फॉर्म न. 06 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील मोहर लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। एक नमूना मय फार्म न. 06 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फॉर्म न. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 06 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को जमाकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक / एफएसएसए / 2025 / 7787 दिनांक 18.09.2025 एवं जांच रिपोर्ट LS./1343/एक्ट / 2025 / 1343 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा मालुम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया बेसन चक्की (घी से बनी मिठाई) नमूना क्रमांक आर–2626 का नमूना अवमानक Sub Standard पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है, जिसकी सूचना विक्रेता को भी दे दी गई है। यह कि नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नहीं की गई है, जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला नहीं भिजवाया गया है।

अतः हितेश कुमार पुत्र श्री सोहनलाल सोलंकी मैसर्स सुभाष स्वीट्स, जालोर चौराया, सुमेरपुर पाली ने बेसन चक्की (घी से बनी मिठाई) अवमानक (Sub-Standard) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी को सम्यक् रुप से नोटीस तामील करवाया गया। नोटीस की तामीली के उपरान्त भी अप्रार्थी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन, नमूना लेने की कार्यवाही, विश्लेषक रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति एवं सलंग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 06.08.2025 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे बेसन चक्की (घी से बनी मिठाई) नमूना आर–2626 को नियमानुसार क्रय कर चार भागों में विभक्त कर सीलबंद किया गया तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भेजा गया। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक / L.S./1343/Act/2025/1343 दिनांक 21.08.2025 के अनुसार उक्त नमूना Sub Standard (अवमानक) पाया गया। उक्त सूचना अप्रार्थी को दी गई, किन्तु अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच हेतु कोई अपील / आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 06/2026
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम हितेश कुमार मैसर्स सुभाष स्वीट्स
जालोर चौराया, सुमेरपुर पाली

अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन करते हुए Sub Standard (अवमानक) खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है जो अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर अधिनियम की धारा 51 सपठित धारा 49 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'अवमानक' श्रेणी की खाद्य सामग्री नमूना क्रमांक आर–2626 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 10000/– रुपये मात्र अक्षरे दस हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक **24.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.06/2026/2026/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली